due to the non-availability of transport; and

(c) if so, the steps Government are taking to stop such malpractices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) No complaint about the mis-use of staff cars or of the services of personal Assistants, peons and stenographers by high officials has been received by Government in the recent past.

(b) and (c): Staff Car Rules prohibit the use of staff cars for journeys to places of entertainment, public amusements, parties and pleasure trips, etc. The Controlling Officer (an officer not below the rank of an Under Secretary) has been made responsible for the proper use, care and maintenance of the staff car and for regulating its journeys generally in accordance with these rules. A senior officer in each Ministry is also required under these rules to scrutinise the log book once a month to ensure that there is no misuse of staff cars.

12.25 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST ALL INDIA RADIO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो सदन की मर्यादा के हनन का सवाल उठा रहा हूं उस में चार मुजरिम हैं। नम्बर 1 श्री सत्य नारायण सिंह जो रेडियो मंत्री हैं। दूसरे हैं श्री इन्द्र गजुराल साहब। यह द्वितीय रेडियो मंत्री हैं। तीसरे हैं स्टेशन डाइरेक्टर, दिल्ली और चौथे हैं श्री आर के० बिड़ला जो इस सदन के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि 2 तारीख़ को जब श्री आर० के० बिड़ला ने व्यक्तिगत....

SHRI R. K. BIRLA (Jhunjhunu): Sir, on a point of order.

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Mr. Speaker, a member of our group has raised a point of order. Will you very kindly listen to it?

MR. SPEAKER: I would request Shri Birla to resume his seat. Let Shri Limaye finish his speech.

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Moradabad): But it is a point of order.

MR. SPEAKER: All right. What is the point of order?

SHRI R. K. BIRLA: Sir, my point of order relates to item 3 of the agenda, which is being discussed now. I find that my name is not there. Therefore, may I know whether Shri Limaye has taken your permission to include my name in it?

MR. SPEAKER: Otherwise, how could he have raised it? There is no point of order Let him resume his seat.

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आप को नोटिस दिया था उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। नोटिस के आधार पर मैं बोल रहा हूं। सदन् की मर्यादा का सवाल इसलिए उत्पन्न होता है कि 2 दिसम्बर को जब कार्य सूची में हम ने देखा कि आर० के० बिड़ला व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं तो श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, श्री एस०एम० बनर्जी ने और मैंने आक्षेप उठाया कि इस व्यक्तिगत स्पष्टीकरण में वह ऐसी बातें कहने जा रहे हैं जोकि विवादास्पद होंगी और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का यह नियम है कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के नाम पर विवादास्पद बातों को नहीं उठाया जा सकता है और उस में से विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जब विवादास्पद बातों को उठायेंगे, डिबेटेबुल मैटर को उठायेंगे तो विवाद होना लाज़िमी हो जाता है। इसलिए 2 तारीख़ को हम ने आक्षेप उठाया। उस के ऊपर आप ने गौर फ़रमाया। आप ने उन को यह कहने का प्रयास किया। मैं जानता हूं कि इस तरह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण न दें इस से कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन वह माने नहीं और 3 तारीख़ को उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया। वह इस ढंग से दिया कि एस्टिमेट्स कमेटी ने जो निष्कर्ष नहीं निकाला, वह निकाला है, इस तरह का संकेत उन्होंने अपने व्यक्तिगत

[श्री मधु लिमये]

स्पष्टीकरण में किया । जैसे उन्होंने एक बयान यह किया कि ऐस्टिमेट्स कमेटी न मुझे बरी किया है मधु लिमये के आरोपों से । दूसरे उन्होंने यह कहा कि ऐस्टिमेट्स कमेटी ने मेरा अभिनन्दन किया है, मुझे कम्पलीमेंट किया है । इस बात का भी संकेत उन्होंने दिया । अब जहाँ ऐस्टिमेट्स कमेटी ने उन्हें बरी ही नहीं किया है वहां यह अभिनन्दन करने या कम्पलीमेंट करने का सवाल कहां आता है ? ऐस्टिमेट्स कमेटी के एक सदस्य श्री चिंतामणि पाणिग्रही सदन में उपस्थित थे और उन्होंने भी कहा कि सारी जो गवाहियां और उन्होंने जो सबूत दिये हैं वह सदन् के सामने आयें । आप ने कहा कि आगे बहस भी होगी । म आप के सामने पहला यह तथ्य रखना चाहता हूं कि ऐस्टिमेट्स कमेटी की जो रपट है और ऐस्टिमेट्स कमेटी ने क्या निष्कर्ष निकाला है यह म पहले बतला रहा हूं । ऐस्टिमेट्स कमेटी के पृष्ठ 77 पर अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है :

"It has been added by the CBI that on a fresh scrutiny of the bill entries it was found that they did not contain a full description of the goods imported and, therefore, did not furnish fool-proof data for comparison."

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार यह कार्डिग वूल और वूल मैचिंग्स में घोटाला हो गया है । जब ऐस्टिमेट्स कमेटी के सामने यह सबूत ही नहीं आया कि क्या वाक़ई में कार्डिग वूल ख़रीदा गया है या वूलन मैचिंग्स खरीदी गई है तो दोनों के दामों के बारे में तलना करने में ऐस्टिमेट्स कमेटी समर्थ नहीं थी क्योंकि ऐस्टिमेट्स कमेटी के सामने यह सबूत नहीं आया था । यह बात तो ऐस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट से साफ़ जाहिर होती है लेकिन आगे जाकर यह माननीय सदस्य कहते हैं कि उन को कम्पलीमेंट किया गया है । कमेटी ने उनको कोई कम्पलीमेंट नहीं दिया है । वह निकाल कर दिखलायें कि कमेटी ने उन को कम्पिलेंट किया है, मैं उन को चुनौती देता हूँ । जान बूझ कर कमेटी के बारे में झूठ बात कहना, गलत बात कहना और सदन को गुमराह करना, यह मेरी राय में विशेषाधिकार भंग होता है । मैं इसे निकाल कर आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । इस में पृष्ठ 115 पर है:

"The House may treat the making of a deliberately misleading statement as a contempt."

एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट वह पढ़ सकते थे । उन्होंने पढ़ा है, आप के मना करने के बावजूद उन्होंने आग्रह किया कि मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दूंगा । उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के नियम को तोड़ा और विवादास्पद बातों को उठाया । इनता ही नहीं, जान बूझ कर गलतबयानी कर के कहा कि मुझ को बरी किया गया है और मुझ को काम्प्लिमेंट किया गया । एक तो उन के खिलाफ मेरी यह बात है ।

अब मैं रेडियो मंत्री रेडियो राज्य मंत्री और स्टेशन डाइरेक्टर के बारे में आता हूं । उन दिनों उन के रेडियो को सुनने का मुझे बहुत कम मौका मिलता है । लेकिन उस दिन मुझ को इस का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ने 10.35 रात का हिन्दी बुलेटिन सुना । मैं दंग रह गया कि उस में केवल यह वाक्य कहा गया कि श्री बिड़ला ने एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने मधु लिमये के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : ज्यादा शामिल न करें, सारे बरी हो जायेंगे ।

श्री मधु लिमये : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना वाक्य आता उस में तो वह ठीक होता, लेकिन उस के तत्काल बाद जब श्री चिंतामणि पाणिग्रही, श्री एस० एम० बनर्जी और मैंने चुनौती दी कि उस में यह निष्कर्ष नहीं है और विवाद के लिये तैयार हैं, तब

रेडियो का साथ-साथ यह भी कर्तव्य था कि वह इस वाक्य को भी जोड़ता कि "लेकिन इस बयान के तत्काल बाद तीन संसद-सदस्यों ने प्रतिवाद किया और कहा कि यह एस्टिमेट्स कमेटी का निष्कर्ष नहीं है!" मैं आप पर कोई लांछन नहीं लगाना चाहता, लेकिन सदन में जो कुछ हुआ वह उस की फ़ेअर रिपोर्टिंग होती। अब गलतबयानी करना मे के अनुसार मर्यादा हानि है :

"Anclogous to the publication of libels upon either House is the publication of false or perverted, or of partial and injurious reports of debates or proceedings misrepresentions of the speeches of particular Members".

और यही बात शकधर और कौल की किताब में है जो हमारे लिये कानून के समान है। इस लिये मेरी मांग है कि रेडियो मंत्री के खिलाफ और स्टेशन डाइरेक्टर के खिलाफ मामला विशेषाधिकार समिति में जाये।

जहां तक श्री आर० के० बिड़ला का सवाल है, अगर वह अपने बयान को वापस लें और कहें कि यह गलती हुई, तो वह इस सदन के सदस्य हैं, इस लिये मैं मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस की मांग की गई है और आप ने उस को स्वीकार भी किया है। अगले अधिवेशन में उस पर बहस होगी। उस में वह अपनी बात कहें तो वही ठीक तरीका होगा। लेकिन इस तरीके मे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की पवित्र प्रक्रिया का, जिस के बारे में कहा गया है कि विवादास्पद बातें नहीं उठाई जानी चाहियें, उस को उन्होंने भंग किया है और उस के बारे में उन को अपनी भूल स्वीकार करनी चाहिए। अगर वह भूल को कबूल करेंगे तो मैं उन के मामले को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात के लिये प्रिविलेज मोशन दे रहा था। लेकिन श्री मधु लिमये ने दे दिया। हम लोगों के इस के उठाने का मेन कारण यह है कि दूसरे दिन श्री आर० के० बिड़ला ने जो स्पष्टीकरण किया है मैं अब भी समझता हूं कि वह गलत है। हालांकि आप ने जो हुक्म दिया है। उस की हम तामील करते हैं, वह हमारे सर आंखों पर है, चूंकि आप ने फैसला दिया है इस लिये हम ने उस का विरोध किया, लेकिन....

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कोई फैसला नहीं दिया।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं उस पर आ रहा हूं। एस्टिमेट्स कमेटी को खींच कर उस की रिपोर्ट को, जब कि वह बहस के दौरान ला सकते थे, स्पष्टीकरण के रूप में श्री आर० के० बिड़ला लाये। मैं आज भी समझता हूं कि वह गलत है। फिर भी जब वह लाये और जिस तरीके से आल इंडिया रेडियो ने बार-बार कहा कि उन को एग्ज़ोनरेट कर दिया गया, दो तीन बार यह अनाउंसमेंट किया गया, उस से मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के फोरम का उन्होंने नाजायज इस्तेमाल कर के अपने स्पष्टीकरण के नाम से एक ऐसी चीज करवाई है जो पार्लियामेंट की परम्परा के खिलाफ है।

मैं आप से निवेदन करूंगा कि श्री आर० के० बिड़ला अपने स्टेटमेंट को वापस लें और सदन से माफी मांगे क्योंकि अगर आगे भी वह मेम्बर बनना चाहते हैं तो परम्परा के आधार पर ही बनेंगे, वैसे नहीं बन सकते। (व्यवधान) मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि उस स्क्रिप्ट को, जो रेडियो पर अनाउंसमेंट था, सदन पटल पर रक्खें ताकि हम लोग समझें कि वाकई क्या एलान किया गया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): यह नहीं हो सकता कि आप एक सदस्य को इजाजत दें और दूसरे सदस्य को इजाजत न दें। मुझ को भी सुना जाये। जहां तक श्री मधु लिमये ने सदन के एक सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रक्खा है उस में जो रेडियो का पक्ष है उस से तो मैं सहमत हूं, लेकिन जहां

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]
तक श्री बिड़ला का पक्ष है मैं आप से स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री बिड़ला ने जो भी वक्तव्य दिया वह नियमों के अन्तर्गत आप की अनुमति से दिया। उस वक्तव्य में जो कि रेकार्ड का हिस्सा है, अगर कोई आपत्तिजनक बात थी, तो वह आप को निकालनी चाहिये थी। वह कार्रवाई में से हटाई जा सकती थी। लेकिन जो वक्तव्य निकाला नहीं गया, हटाया नहीं गया और रेकार्ड का एक हिस्सा बन चुका है उस पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाना क्या आप को उस में लपेटने का प्रयास नहीं है (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : कैसे है? इस में तो श्री आर० के० बिड़ला को स्पीकर साहब ने वक्तव्य देने से रोका था?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर स्पीकर साहब ने उन को अलाऊ किया है और यह रेकार्ड का हिस्सा है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान) जो रेकार्ड का हिस्सा है अगर उस पर आप विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाने देंगे तो एक ऐसा दरवाजा खुल जायेगा जिस को बन्द करना मुश्किल होगा।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुद्दालय नं० 1 की तरफ से मुझे कुछ कहना है। मुद्दालय नं० 4 को वकील भी मिल गया, मुद्दालय नं० 1 और 2 का कोई वकील नहीं है। मैं अपनी वकालत करता हूं। इस में इतनी बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, मैं इस बात को कबूल करता हूं। 3 तारीख को जो रिपोर्ट होनी चाहिये थी उस में यह ओमिशन हुआ है। यह गलती हुई है और मैं इस गलती को कबूल करता हूं। आइन्दा ऐसी गलती नहीं होगी।

श्री मधु लिमये : आप मेरी प्रार्थना कबूल कीजिये। यह गलती कबूल करते हैं इस लिये मैं इस को बढ़ाता नहीं हूं। लेकिन जिन-जिन बुलेटिनों में गलत खबर छपी है या अखबारों में.....(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No more questions.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): I have also given a privilege motion regarding the All India Radio. They have been misrepresenting and misreporting what is said here. Then, they give an explanation and crave for forgiveness. They should be more careful in future in these matters.

SHRI R. K. BIRLA *rose*--

MR. SPEAKER: Mr. Birla, will you please accept my sincere advice not to get up and complicate the matter? You did not accept it and there is the complication now.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। जैसा मैंने आप को लिखा भी है, मैं सिर्फ एक मिनट में सारी बात कह दूंगा और ज्यादा लम्बा समय नहीं लूंगा। सदन की अपनी यह परम्परा रही है कि इस सदन में जो भी आवश्यक कार्रवाई हो अगर उस को समाचार-पत्रों या समाचार-एजेंसियों में छपने से योजनाबद्ध ढंग से रोका जाये तो वह सदन का अपमान है। बेनेट कोलमैन और सरकार के बीच में समझौता चल रहा है और करोड़ों रुपयों का गोलमाल हो रहा है उस की सारी कार्रवाई को जान बूझ कर फ्लैश होने से रोका गया है। वहां उन के प्रतिनिधि गये हैं और कहीं एक लाइन भी नहीं आने दी गई (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि संसद् इस प्रकार की जान बूझ कर की जाने वाली चीज को रोके। किसी समाचार-पत्र में इस का नहीं आने दिया गया।

रवि राय (पुरी) : यह ठीक कह रहे हैं।

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): Sir, I do not normally get up to interrupt the proceedings of the House. But I am constrained to do. I have received an alarming telegram..............

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पहले इस का जवाब आने दीजिये। अगर इस प्रकार की कार्रवाई..

MR. SPEAKER: Has it got any connection with the privilege matter raised by Shri Madhu Limaye?

SHRI P. RAMAMURTI: I thought it was over.

MR. SPEAKER: It is not yet over.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस सम्बन्ध में आप की व्यवस्था नहीं हुई जो मैं ने आप से कहा था अगर इस प्रकार संसद की कारंवाई समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों में जाने से रोकी जाये । दिल्ली के समाचार-पत्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूं वह बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं पर बैनेट कोलमैन के कुछ उच्चाधिकारियों ने अखबारों में छपने नहीं दिया । न केवल इस कम्पनी बल्कि दूसरे समाचारपत्रों को भी जानबूझ कर इसको छापने से रोका गया है । यह सरकार की ओर से हुआ या शान्तिप्रसाद जैन की ओर से यह सारी चीज़ सदन के सामने आनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने श्री मधु लिमये का प्रिवलेज मोशन है और वही बात होगी जोकि स्ट्रिक्टली उससे रेलेवेंट हो । उससे बाहर जा कर कोई बात कंसिडर नहीं होगी । श्री आर० के० बिड़ला ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में उनकी प्रिवलेज मोशन है । उनका वर्डिंग यह है :

> "to raise a question of privilege regarding alleged misrepresentation by All India Radio of Lok Sabha proceedings on 3rd December, 1969 relating to the personal explanation of Shri R. K. Birla."

उस में उन्होंने यह सवाल उठाया कि एक हिस्से को तो ब्राडकास्ट किया गया लेकिन दूसरे को ओमिट किया गया । मिनिस्टर साहब नें उस में बिना बहस में पड़े अनक्वालिफाइड तौर पर मान लिया है कि यह गलती है । उन्होंने यह भी कहा है कि हम माफी चाहते हैं । मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं । इसको यहीं खत्म कर दिया जाए ।

श्री मधु लिमये ने एस्टीमेट्स कमेटी का सवाल भी उठाया है ।

Purely, it is a procedural matter concerning the distortion or misrepresentation of the contents of the Estimates Committee..

आप किसी और तरीके से लावें

श्री मधु लिमये : एक का जवाब आपने दिया है । अध्यक्ष महोदय, परसनल एक्सप्लेनेशन की जो प्रक्रिया है यह मानी हुई बात है कि यह पवित्र प्रक्रिया है ।

MR. SPEAKER: What you have asked in your motion is only about All India Radio. How can you raise the other one?

श्री मधु लिमये : मेरे नोटिस में दोनों बातें हैं । मैं पढ़ कर सुनाने के लिए तैयार हूं । और कोई नोटिस मैं ने नहीं दिया । एक ही दिया है ।

MR. SPEAKER: It is there—the other matter; but I have not brought it there in the agenda.

श्री मधु लिमये : बाद में करिये उसका फैसला । मैं ने दिया है । आपका रूलिंग ठीक है ।

MR. SPEAKER: On the order paper only one can be brought. So, entirely different aspects of the question cannot be brought here.

I hope, we accept this....(*Interruptions*)

SHRI PILOO MODY (Godhra): For the last three days, I have been trying to bring to the attention of the House......

श्री रवि राय : प्रकाशवीर शास्त्री जी ने एक सवाल उठाया है, अध्यक्ष महोदय । उसके बारे में जवाब नहीं मिला है । वह बैनेट कोलमैन के सिलसिले में था । मैं ने भी उस वक्त सवाल किया था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो उठाया है उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है ।

SHRI RANGA (Srikakulam): The point that was raised by Shri Prakash Vir Shastri is not an isolated incident in regard to which the Press has been kept blind by the Press services. I want to draw your attention to this. You may be good enough to advise

[Shri Ranga]

the Press services also. We are remiss and, therefore, we go into the Central Hall. If the Press services also go into the Central Hall after 5·30 P.M. and do not follow the proceedings that happen here and do not satisfactorily convey to the Press, then the proceedings will lose much of their value. Therefore, I would request you to convey your wish to those people to see that they remain there and do their duty satisfactorily.

MR. SPEAKER: You have been in Parliament and in public life for so long; I have also been there. As you know, there are times when there is no Press, and our friends are very often judicious enough to see above and then make their speeches.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : रंगा जी से मेरा सवाल भिन्न है। वह केवल यह था कि यहां पर जो भी कार्रवाई होती है........

अध्यक्ष महोदय : इसको छोड़िये ।

I am sending it to the Minister for his statement. Kindly sit down.

साढ़े दस बजे आपका नोटिस मेरे पास आया था ।

SHRI PILOO MODY : For the last three days I have been trying to bring to your attention about the firing in Porbandar. I have also sent a calling attention notice. To-day there is no call attention motion. Even then you have not admitted my call attention notice.

MR. SPEAKER: I have enquired into it. If you come to me, I will explain to you whether it is admissible or not. *(Interruptions)*

SHRI PILOO MODY: If you invited me. I would have readily come.

MR. SPEAKER: You are always welcome.

12·46 Hrs.

Re. SITUATION IN KERALA

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): Sir, I am seeking your guidance in a very grave matter because the House is due to adjourn day after tomorrow. To-day I have received an alarming telegram from a very senior member of this House, Mr. A. K. Gopalan, who has been a member of this House ever since 1952. He says in the telegram:

"CENTRAL RESERVE POLICE RUNNING AMUCK IN KERALA TOWNS AND RURAL AREAS BY BEATING INDISCRIMINATELY PEDESTRIANS AT KANNAPURAM ...." *(Interruptions)*

AN HON MEMBER: It is a white lie.

SEVERAL HON MEMBERS *rose*.—

SHRI P. RAMAMURTI:..... TELLICHERRY, CALICUT, KALLIASSERY AND OTHER PLACES, RAPING, LOOTING...

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): I rise on a point of order, Sir. The point of order is this. I want your guidance on the procedure. Day before yesterday we raised a point arising out of a telegram. What are the conventions in this House? To-day you are allowing a member to raise the matter on a telegram received by him.

MR. SPEAKER : If all members are standing at the same time I cannot make out anything.

SHRI K. LAKKAPPA: This is unfair My submission is this: I want your guidance on the point. Telegrams are being received from various constituents by a member or anybody. On Saturday Shri Daschowdhury raised the same thing that in Cooch Behar the left Communists were obstructing and injuring people and infringing the fundamental rights of the citizens of the country. Is there any convention established by this hon House in regard to telegrams ? This is a very serious matter with regard to Kerala and they want to malign the Government now in existence in Kerala.

MR. SPEAKER: Mr. Ramamurti, this morning another gentleman, Shri Rabi Ray, came to my chamber and brought this fact to my notice. I explained to him that the Central Reserve Police is, of course, on deputation there but it is always employed by the local aouthorities. It is not a Government of India corncern. I do not allow it. *(Interruptions)*

SHRI P. RAMAMURTI : I would like to point out................

MR. SPEAKER: I know it because it was discussed by another Member this morning.